न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 66/2021(2021/191)

1. छोटू पुत्र भूरा माली निवासी जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर

––प्रार्थी

बनाम

1. विनय कुमार पुत्र श्री राजकुमार जाति जैन निवासी जूनिया तहसील केकडी।
2. विमल कुमार पुत्र श्री फतेहलाल जाति जैन निवासी जूनिया तहसील केकडी।
3. नरेन्द्र पुत्र श्री फतेहलाल जाति जैन निवासी केकडी तहसील केकडी।
4. शिवप्रताप पुत्र श्री जोधाराम जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी।
5. श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

अप्रार्थीगण

6. किशनलाल पुत्र श्री सत्यनारायण जाति धाकड बिलावटिया खेडा तहसील सरवाड जिला अजमेर।
7. किशना पुत्र श्री लादू जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी।
8. गंगाराम पुत्र श्री देबी जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी।
9. गोपाल पुत्र श्री देवा जाति धाकड निवासी कुम्हारिया तहसील सरवाड।
10. छीतर पुत्र श्री देबी जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी।
11. नन्दू पुत्री श्री देबी जाति माली निवासी जूनियां तहसील केकडी।
12. बदाम पुत्री देबी माली निवासी जूनियां तहसील केकड़ी
13. रामनिवास पुत्र श्री देबी जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी।
14. रामा देवी पत्नि देबी माली निवासी जूनियां तहसील केकड़ी
15. शान्ति पुत्री देबी माली निवासी जूनियां तहसील केकड़ी
16. रामेश्वर पुत्र लादू माली निवासी जूनियां तहसील केकड़ी
17. लाला पुत्र श्री भूरा जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी।
18. घीसा पुत्र श्री लादू जाति माली निवासी जूनिया तहसील केकडी।
19. गोपाल पुत्र भूरा माली निवासी जूनियां तहसील केकड़ी
20. घनश्याम पुत्र श्री कंवरा जाति धाकड निवासी केसरपुरा तहसील सरवाड।
21. देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति बडवा निवासी जूनिया तहसील केकडी।
22. नन्दकिशोर पुत्र श्री रामकिशोर जाति धाकड निवासी कुम्हारिया सरवाड।
23. निजामुद्दीन पुत्र श्री खाजू जाति मुसलमान निवासी जूनिया तहसील केकडी।
24. बन्नालाल पुत्र श्री लादूलाल जाति धाकड निवासी फालोलाव तहसील टोडारायसिंह।
25. भंवरलाल पुत्र श्री बालू जाति धाकड निवासी रघुनाथपुरा तहसील देवली जिला टोंक
26. मदन कंवर पत्नि श्री राजेन्द्र सिंह जाति बडवा निवासी जूनिया तहसील केकडी।
27. महावीर सिंह पुत्र श्री मानसिंह जाति बडवा निवासी जूनिया तहसील केकडी।
28. रेखा कंवर पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह जाति बडवा निवासी जूनिया तहसील केकडी।
29. रतनलाल पुत्र श्री उंकार जाति धाकड निवासी जूनिया तहसील केकडी।
30. विमय कुमार पुत्र श्री राजकुमार जाति जैन निवासी जूनिया तहसील केकडी।
31. विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति बडवा निवासी जूनियां तह0 केकड़ी
32. हनुमान पुत्र श्री रामलाल जाति धाकड निवासी बिलावटिया खेडा तहसील सरवाड जिला अजमेर।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

33. हेमराज पुत्र श्री रामलाल जाति धाकड निवासी बिलावटिया खेडा तहसील सरवाड जिला अजमेर।
34. हरनाथ पुत्र श्री श्योकिशन जाति धाकड निवासी पीपरोली तहसील सरवाड।
35. महेन्द्र पुत्र श्री हजारी जाति माली निवासी बस्सी तहसील टोडारायसिंह।
36. राजाराम पुत्र श्री हजारी जाति माली निवासी बस्सी तहसील टोडारायसिंह।

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—1. श्री मदनगोपाल चौधरी—
2. श्री मिठू सिंह राठौड — वकील प्रार्थी
3. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा—वकील अप्रार्थीगण

—:आदेश:—

दिनांक— 13.12.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
532—490	3492	0.93	चाही—1

उपरोक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का 1/25 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 2/111, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/111, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/111 तथा अप्रार्थी संख्या 4 का 1/111 हिस्था तथा प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 6 का 1/100, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 7 का 17/234, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 8 का 1/21, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 9 का 1/222, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 15 प्रत्येक का 1/21, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 16 का 1/9, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 17 का 11/444, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 18 का 1/9, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 19 का 119/2232, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 20 का 7/432, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 21 का 16417/1339200, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 22 का 1/222, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 23 का 1/72, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 24 का 1/144, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 25 का 1/222, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 26 का 16417/1339200, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 27 का 17/2325, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 28 का 16417/1339200, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 29 का 7/432, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 30 का 1/26, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 31 का 16417/1339200, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 32 का 1/465, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 33 का 1/465, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 33 का 1/465, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 34 का 1/60, प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 35 का 1/124 तथा प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 36 1/124 हिस्सा संयुक्त खातेदारी, कब्जे, काश्त, स्वामित्व, अधिपत्य, उपयोग उपभोग में चली आ रही है। तथा इसी प्रकार काबिज काश्त है। अन्य दीगर व्यक्ति का कानूनन हक अधिकार नही है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की नियत बद है तथा वाद वर्णित आराजीयात से प्रार्थी को उसकी संयुक्त खातेदारी की आराजी 1/25 हिस्सा से जबरन बैदखल करने एवं कब्जे काश्त, स्वामित्व, अधिपत्य, उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने एवं अजनबी व्यक्ति को बिना विभाजन के विशिष्ट भू भाग मुख्य सडक केकड़ी जयपुर सडक तरफ का हिस्सा खुर्द बुर्द, बैचान,

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

अन्तरण, हस्तान्तरण करने एवं सडक के लगवा जबरन कब्जा कर बैदखल करने की धमकी दिनांक 20.06.2021 को दी। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 को ऐसा करने से मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 स्वयं व उनके नोकर, हाली सीरी, सगे सम्बन्धी, रिश्तेदारान, एजेन्ट, मुख्त्यार आम व खास वगैरह को ता फेसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वाद वर्णित आराजी में प्रार्थी की खातेदारी की संयुक्त 1/25 हिस्से की आराजी के संयुक्त कब्जे काश्त, स्वामित्व, आधिपत्य, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या दखलन्दाजी नही करें न ही आराजी व फसल उपज को नष्ट भ्रष्ट करें तथा न ही आराजी को दौराने दावा बिना विभाजन के अजनवी व्यक्ति/संस्था को बैचान, अन्तरण, हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द किसी प्रकार से वाद वर्णित आराजी के विशिष्ट भू भाग (केकड़ी जयपुर सडक) के फ्रन्ट की बहुमूल्य भूमि का दौराने दावा नही करें न ही प्रार्थी को जबरन बैदखल करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण 6, 17, 34 की ओर से जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। **जवाब निम्नानुसार हैः–**

प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 6, 17, 34 की ओर से जवाब निम्नानुसार है–

प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1,2,3,4,5, स्वीकार है व प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 6 स्वयं सिद्व करे व शेष प्रार्थना अप्रार्थी उतरकर्तागण ने प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नही की है अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने में अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब निम्नानुसार है–

प्रार्थनापत्र का पैरा संख्या 1 में वर्णित कथन प्रार्थी ने कतई गलत मिथ्यां एवं मनगढंत होने के कारण उक्त प्रार्थनापत्र काननून चलने योग्य नही होकर खारिजी योग्य है प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित कथनों के उत्तर में निवेदन है कि वाद वर्णित आराजीयात का ग्राम जूनिया में स्थित होना स्वीकार है जो रिकार्ड से सिद्व है प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित कथनों के उत्तर में निवेदन है कि उक्त वाद वर्णित आराजीयात के बाबत जो अप्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के हिस्से अंकित किये गये है वह रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थी एवं प्रार्थी के अन्य सहखातेदारान भाई सर्व श्री गोपाल, दुर्गालाल एवं लाला माली ने पूर्व में ही उक्त आराजी का मौके पर बंटवारा करते हुए अलग – अलग हिस्सा कर लिया था एवं उक्त बंटवारे अनुसार ही प्रार्थी स्वयं एवं अन्य भाईयो ने मिलकर दिनांक 06.12.2005 को 38x52 = 1996 वर्गफीट भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मदनलाल कीर एवं कजोड कीर निवासीगण जूनिया को किया जिसमें भी प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 17 का हिस्सा होने का अंकन किया गया एवं उसी हिस्से को प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 17 ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 18.09.2017 को बेचान किया गया एवं उक्त समस्त खातेदारान अपने अपने हिस्सेवार काबिज व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा अपने अपने हिस्से पर मकानात व दुकाने निर्मित कर निवास व व्यवसाय कर रहे है। उक्त वाद वर्णित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण तथा प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में होने संबंधित कथन कतई गलत मिथ्या एवं मनगढंत होने के कारण दृढता के साथ अस्वीकार व अमान्य है क्योंकि उक्त आराजी केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में ही संयुक्त रूप से दर्शित है, बाकी मोके पर प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान ने कई वर्षो पूर्व यानि 20 वर्षो पहले ही बंटवारा करते हुए अलग अलग मकानात एवं दुकाने निर्मित कर ली एवं प्रार्थी ने अन्य सहखातेदारान भाईयों के साथ मिलकर माननीय न्यायालय से वास्तविक स्थिति छिपाते हुए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कनूनन चलने योग्य नही होकर खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 4 में वर्णित कथन कतई गलत मिथ्या एवं मनगढंत होने के कारण दृढता के साथ अस्वीकार एवं अमान्य है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 ने प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 17 के हिस्से की आराजी में से मुख्य रोड के लगवा स्थित हिस्सा यानि प्रार्थी एवं अन्य

उपखण्ड अधिकारी
(अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

सहखातेदारान द्वारा दिनांक 06.12.2005 को मदनलाल कीर एवं कजोड कीर निवासीगण जूनिया के हक में करवाये गये भूखण्ड के विक्रय पत्र के उत्तरी ओर स्थित हिस्से की भूमि को पूर्ण विक्रय मूल्य अदा कर खरीद कर कब्जा दखल प्राप्त किया है एवं उक्त आराजी की भूमि पर समस्त खरीददारान एवं प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान भाईयो तथा चचेरे भाईयो द्वारा मोके पर बंटवारा करते हुए दुकानात एवं मकानात का निर्माण करवाकर व्यवसाय कर रहे है तथा उक्त आराजी का फन्ट पूर्व मे ही प्रार्थी एवं अन्य खातेदारान द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 एवं अन्य खरीददारान को विक्रय किया जा चुका है तथा अब केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा नही होने के कारण केवल मात्र अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध द्वेषतावश उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन खारिज योग्य है। उक्त आराजी का पूर्व में ही बंटवारा हो जाने के कारण अब बंटवारा किये जाने की कोई आवश्यकता नही होने से उक्त प्रार्थनापत्र कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिज योग्य है। प्रार्थी ने केवल मात्र अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 को विक्रय की गई भूमि को हडपने व हेरान परेशान करने के लिए दुर्भावनापूर्वक पूर्व विक्रेता लाला माली एवं अन्य भाईयों से मिलीभगत कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है। शेष कथन प्रार्थी कतई गलत मिथ्या एवं मनगढंत होने के कारण दृढता के साथ अस्वीकार व अमान्य है अधिक विशेष विवरण से प्रकट होगा। प्रार्थी एवं प्रार्थी के अन्य भाई सर्व श्री गोपाल, दुर्गालाल, लाल पिसरान भूरा माली ने अन्य कई व्यक्तियों को उक्त आराजी में से भूखण्ड भी बैचान किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

1. प्रार्थी छोटू के अन्य भाई गोपाल द्वारा विक्रय किये गये व्यक्तियों का विवरण –

1– खसरा नम्बर 3492 रकबा 0.93 हैक्ट मे अपने 5/72 हिस्से में से 0.01.5 हैक्ट महेन्द्र, राजाराम पिसरान हजारी माली निवासी बस्सी तहसील टोडारायसिंह को दिनांक 14.03.2011 को जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र बेचान कर कब्जा संभलाया जिस पर वर्तमान में मकान व दुकानात निर्मित है।

2– खसरा नम्बर 3492 रकबा 0.93 हैक्ट में अपने 1/12 हिस्से में से 1/6 हिस्सा यानि कुल रकबे का 1/72 हिस्सा नीजामुद्दीन पुत्र खवाज मोहम्मद उर्फ खाजू खा पिनारा निवासी जूनियां को दिनांक 11.07.2006 को जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र बेचान कर कब्जा दखल संभलाया जिस पर वर्तमान में मकान व दुकानात निर्मित है।

3– प्रार्थी छोटू एवं अन्य खातेदारान सर्व श्री गोपाल, लाला एवं दुर्गालाल ने खसरा नम्बर 3492 रकबा 0.93 हैक्ट में से 38x52 = 1996 वर्गफीट भूखण्ड मदनलाल कीर, सत्यनारायण पुत्र लादू जांगिड एवं राजकुमार पुत्र शांतिलाल जैन निवासी जूनियां को दिनांक 06.12.2005 को जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र बेचान कर कब्जा दखल संभलाया जिस पर वर्तमान में मकान निर्मित है एवं उक्त रजिस्टी में उक्त भूखण्ड की सीमाएं भी अंकित है।

2. प्रार्थी छोटू द्वारा विक्रय किये गये व्यक्तियों का विवरण –

1– खसरा नम्बर 3492 रकबा 0.93 हैक्ट में अपने 1/15 हिस्से में से 1/4 हिस्सा हरनाथ पुत्र श्योकिशन धाकड निवासी पीपरोली को दिनांक 17.08.2009 को जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र बेचान कर कब्जा दखल संभलाया जिस पर वर्तमाान में मकान व दुकानात निर्मित है एवं उक्त विकयपत्र में सीमाएं अंकित है।

2– खसरा नम्बर 3492 रकबा 0.93 हैक्ट में अपने 1/20 हिस्से में से 1/5 हिस्सा यानि कुल आराजी का 1/100 हिस्सा श्री राधेश्याम धाकड पुत्र रामचन्द्र व किशनलाल पुत्र सत्यनारायण धाकड निवासी बिलावटियाखेडा को दिनांक 13.02.2015 को जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र बेचान कर कब्जा दखल संभलाया तथा लक्ष्मण पुत्र गोरू धाकड निवासी बिलावटियाखेडा को रजिस्टर्ड विकयपत्र द्वारा बेचान कर कब्जा संभलाया जिस पर वर्तमान में मकान व दुकानात निर्मित है।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

3– प्रार्थी स्वयं एवं प्रार्थी के अन्य भाई गोपाल, लाला, दुर्गा पिसरान भूरालाल ने खसरा नम्बर 3492 रकबा 0.93 हैक्ट में से मदन कीर, कजोड कीर, सत्यनारायण खाती, राजकुमार जैन व लीला पत्नि रामरतन खाती को कुल 5602 वर्गफीट भूमि भूखण्डो के रूप में अलग अलग विक्रयपत्रों के द्वारा बेचान किया गया जिनका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में नही है जिस पर वर्तमान में मकान व दुकानात निर्मित है।

3. प्रार्थी के भाई खातेदार लाला द्वारा विक्रय किये गये व्यक्तियों का विवरण–

1– खसरा नम्बर 3492 रकबा 0.93 हैक्ट में से अपने 31/444 हिस्से में से 20/444 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 4 शिवप्रताप पुत्र जोधाराम माली निवासी जूनियां को दिनांक 18.09.2017 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेचान कर कब्जा दखल संभलाया

2– खसरा नम्बर 3492 रकबा 0.93 हैक्ट में से $30x45 = 1350$ वर्गफीट भूखण्ड जुलाई 2013 में नन्दकिशोर, भंवरलाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेचान कर कब्जा दखल संभलाया जिस पर वर्तमान में मकानात व दुकाने बनी हुई है।

4. प्रार्थी के भाई अन्य खातेदार दुर्गालाल द्वारा विक्रय किये गये व्यक्तियों का विवरण –

1– खसरा नम्बर 3492 रकबा 0.93 हैक्ट मे अपने 1/12 हिस्से में से 1/4 हिस्सा यानि कुल आराजी का 1/48 हिस्सा रतनलाल धाकड, घनश्याम धाकड व बन्नालाल धाकड को दिनांक 08.07.2008 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेचान कर कब्जा संभलाया जिस पर वर्तमान में मकान व दुकानात निर्मित है।

2– खसरा नम्बर 3492 रकबा 0.93 हैक्ट मे अपने हिस्से 19/432 हिस्से में से 19/432 हिस्सा यानि अपना सम्पूर्ण हिस्सा राजेन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह राव निवासी जूनियां को दिनांक 04.05.2016 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेचान कर कब्जा दखल संभलाया जिस पर वर्तमान में मकान व दुकानात निर्मित है।

5. प्रार्थी छोटू के चचेरे भाई अन्य खातेदार किशनलाल द्वारा विक्रय किये गये व्यक्तियों का विवरण –

1– खसरा नम्बर 3492 रकबा 0.93 हैक्ट मे से अपने 1/9 हिस्से में से 0.03 हैक्ट मे से यानि कुल आराजी का 3/93 हिस्सा शंकर लाल पुत्र रामस्वरूप निवासी सुनारिया को दिनांक 28.06.2017 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेचान कर कब्जा दखल संभलाया जिस पर वर्तमान में मकानात व दुकाने निर्मित है।

प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान ने उक्त आराजीयात का मौके पर पूर्व में ही बंटवारा करते हुए अलग अलग विक्रयपत्रों के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को बेचान कर दिया जिनमें कुछ का अंकन राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है तथा कुछ का अंकन भूखण्डो में विक्रय किये जाने के कारण राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में नही हो सकता जिनका भी प्रार्थी ने माननीय न्यायालय से वास्तविक स्थिति छिपाते हुए उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया जो कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 5 में वर्णित कथन कतई गलत मिथ्या एवं मनगढंत होने के कारण दृढता के साथ अस्वीकार व अमान्य है। वाद वर्णित आराजी का प्रार्थी एवं प्रार्थी के अन्य सहखातेदारान भाई सर्व श्री गोपाल, लाला, दुर्गालाल ने पूर्व में ही मोके पर बंटवारा करते हुए अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 को विक्रय करने से पूर्व ही कई व्यक्तियों को उक्त आराजी में से सिमाए अंकित करते हुए भूखण्ड व हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर चुके है जिन पर मकानात व दुकानात निर्मित हो चुकी है जिसकी प्रार्थी एवं अन्य सभी खातेदारान को पूर्ण रूपेण जानकारी है। प्रार्थी ने केवल मात्र अपने अन्य भाईयो के साथ मिलकर बद्धनियत पूर्वक दुर्भावनापूर्वक अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 को विक्रय की गई आराजी के हिस्से को हडपने की नियत से मोके की वास्तविक स्थिति को छिपाते हुए उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिज योग्य है। प्रार्थी ने स्वयं ने उसके हिस्से में से उक्त आराजी का बेचान करते समय विक्रयपत्रों मे सीमाए अंकित की है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त वाद वर्णित आराजी का मौके पर पूर्व में ही बंटवारा किया जा चुका है तथा

उपखण्ड अधिकारी
धाकड़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

केवल मात्र कागजों में उक्त आराजी संयुक्त दर्शित है एवं 16–17 वर्ष पूर्व ही बेचान कर कब्जा दखल संमला दिया। उक्त खरीददारान ने उक्त भूखण्डो एवं भूमि पर मकानात एंव दुकाने निर्मित कर ली जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में भी है। प्रार्थी ने केवल अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 के विरूद्ध कतई गलत मिथ्या एवं निराधार आरोप के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिज योग्य है। प्रार्थनापत्र के पेरा संख्या 6 में वर्णित कथनों के उत्तर में प्रार्थी का कोई प्राईमा फेसाई केस नही है तथा न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। शेष प्रार्थना प्रार्थी कतई गलत मिथ्या एवं मनगढंत होने के कारण कानूनन स्वीकार किये जाने योग्य नही होकर खारिज योग्य है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के साथ धोखाधडी कारित करते हुए पूर्व नियोजित षडयंत्र पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से माननीय न्यायालय से वास्तविक स्थिति छिपाते हुए उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई ने उक्त वाद वर्णित आराजी के संबंध में उक्त प्रार्थना पत्र के अलावा गोपाल बनाम किशनलाल वगै प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थी एवं गोपाल का प्रार्थनापत्र में अंकित अनुसार हिस्सा ही शेष नही रहा है। उक्त वाद वर्णित आराजी पर अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्सेवार एवं जिन व्यक्तियों ने भूखण्डो के आधार पर खरीदा है उसी अनुसार काबिज उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 4 ने पूर्व खातेदार लाला पुत्र भूरा माली निवासी जूनियां से पूर्ण विक्रय मूल्य अदा कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीदकर कब्जा दखल प्राप्त किया एवं खरीद दिनांक 18.09.2017 से ही बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त व उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 4 से अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 ने पूर्ण विक्रय मूल्य अदा कर 4/111 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीदकर कब्जा दखल प्राप्त किया एवं बहैसियत खातेदार एवं मालिक काबिज व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त वाद वर्णित आराजी की प्रकृति मोके पर बदल जाने के कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिज योग्य है। प्रार्थी अपने स्वयं के हिस्से में से एवं अन्य सहखातेदारान भाईयो के साथ मिलकर पूर्व मे ही उक्त आराजीयात के हिस्से को बेचान कर चुके है, इसलिए प्रार्थी स्टोपल के सिद्धान्त एवं विबन्ध के अनुसार बंधीत होने से प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के उक्त प्रार्थनापत्र को मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने का अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 ने अपने जवाब में निवेदन किया है।

प्रार्थीगण मदनलाल पुत्र गोपीलाल, कजोड पुत्र हरजी कीर, निवासीगण जूनियां तहसील केकड़ी, सत्यनारायण पुत्र लादू खाती निवासी हिंगोनिया तहसील सरवाड के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का पेश कर प्रकरण में पक्षकार बनाने हेतु निवेदन किया गया जिस पर पक्षकारान के अधिवक्ताओं द्वारा बिना जवाब दिये बहस सुने जाने हेतु निवेदन किया गया। बहस के दौरान अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को नोटप्रेस किया गया।

पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस में प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष समर्थन में प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों का वर्णत करते हुए बताया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 वाद वर्णित आराजीयात से प्रार्थी को उसकी संयुक्त खातेदारी की आराजी 1/25 हिस्सा से जबरन बैदखल करने एवं कब्जे काश्त, स्वामित्व, अधिपत्य, उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने एवं अजनबी व्यक्ति को बिना विभाजन के विशिष्ट भू भाग मुख्य सडक केकड़ी जयपुर सडक तरफ का हिस्सा खुर्द बुर्द, बैचान, अन्तरण, हस्तान्तरण करने एवं सडक के लगवा जबरन कब्जा कर बैदखल करने की धमकी दी। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 को ऐसा करने से मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की आराजी 1/25 हिस्सा से जबरन बैदखल कर देते है एवं संयुक्त आराजी के विशिष्ट भू भाग जो बेशकीमती एवं बहुमूल्य को बिना विभाजन के बैचाना, अन्तरण, हस्तान्तरण, जबरन कब्जा कर देते है तो प्रार्थी को अजहद हानि होगी। अतः वाद वर्णित आराजी का मौके पर बंटवारा किया जाकर प्रार्थी को 1/25

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

हिस्सा तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व प्रफोर्मा प्रार्थीगण संख्या 6 लगायत 36 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उनके खातेदारी हिस्से के अनुसार बंटवारा किया जाना एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 को निषधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष समर्थन में जवाब प्रार्थना **पत्र में वर्णित तथ्यों का वर्णत करते हुए बताया कि** प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के साथ धोखाधडी कारित करते हुए पूर्व नियोजित षडयंत्र पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से माननीय न्यायालय से वास्तविक स्थिति छिपाते हुए उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई ने उक्त वाद वर्णित आराजी के संबंध में उक्त प्रार्थना पत्र के अलावा गोपाल बनाम किशनलाल वगै प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थी एवं गोपाल का प्रार्थनापत्र में अंकित अनुसार हिस्सा ही शेष नही रहा है। उक्त वाद वर्णित आराजी पर अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्सेवार एवं जिन व्यक्तियों ने भूखण्डो के आधार पर खरीदा है उसी अनुसार काबिज उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 4 ने पूर्व खातेदार लाला पुत्र भूरा माली निवासी जूनियां से पूर्ण विकय मूल्य अदा कर जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र खरीदकर कब्जा दखल प्राप्त किया एवं खरीद दिनांक 18.09.2017 से ही बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त व उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 4 से अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 ने पूर्ण विकय मूल्य अदा कर 4/111 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र खरीदकर कब्जा दखल प्राप्त किया एवं बहैसियत खातेदार एवं मालिक काबिज व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थी अपने स्वयं के हिस्से में से एवं अन्य सहखातेदारान भाईयो के साथ मिलकर पूर्व मे ही उक्त आराजीयात के हिस्से को बेचान कर चुके है, इसलिए प्रार्थी स्टोपल के सिद्धान्त एवं विबन्ध के अनुसार बंधीत होने से प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नही होकर खारिज योग्य है।

पक्षकारान के अधिवक्तागण की सहसम्मान बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में सावित हो रहे है विधिसम्मत नही कहा जा सकता है। प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner